


21/03
2015

वकील अभयपत्र उर्फ वकील प्रार्थी को पुत्रागवा
पत्रावली का मालिकाना हक दिया प्रार्थी को चोर से
अप्रार्थी सं. 1, 1 पके आर. पु. की आप्रवाही नही की
जा रही है। पत्रावली पर प्रार्थी हुए 6 माह ले
अधिक समय हो गया है। अतः प्रार्थी प्रार्थी
अवेत होने से प्रार्थी दिया जाता है पत्रावली में प्रार्थी
सुमिल होकर नष्ट ले कर ही हल प्रार्थी प्रार्थी
दस्तावेज


उपसचिव अधिकारी
धौलपुर (राज.)